



J.C.S.S.S. Ltd.



Main Dharmveer market Badarpur new delhi-44

Website : www.jcssss.com E-mail : jcssssorg@yahoo.co.in Regd.No : MSCS/CR/328/2010

शपथ-पत्र

सेवा में, मार्केटिंग बिभाग

जेसीएसएसएसएसलि0 एनबीओ/शाखा

यह कि मैं..... पिता/पति..... वर्तमान

निवासी/ग्राम/मुहल्ला..... प्रखण्ड/पो0..... जिला.....

राज्य..... स्थाई निवासी/ग्राम/मुहल्ला..... प्रखण्ड/पो0..... जिला.....

..... राज्य..... एमएम कोड..... हैं।

1. आज दिनांक से समिति नियमानुसार अपने सदस्यों का डीडी2/डीडी3 ऋण योजना हेतु 125 दिन तक 100 रुपया प्रतिदिन के अनुसार खाता खोलेंगे और अपना जिवकोपार्जन करेंगे।
2. यह कि हमारे एमएम कोड पर एक माह में कम से कम सौ रुपये के बीस डीडी2 ऋण खाता खोलने के उपरान्त ही ऋण आवेदन कर सकेंगे और तदोपरान्त ही अपने सदस्यों को 50 से 60 दिन के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में समिति से सदस्यों के जरूरत के अनुसार ऋण मुहैया करायेंगे और समिति नियमानुसार ऋण की प्रतिदिन वसुली एवं ऋण समयावधि अन्तर्गत नो-ड्यूज भी करेंगे, ऋण की वसुली पर एमएम को समिति से कोई रेमूनेरेशन देय नहीं होगा, सदस्यों के हित में ऋण की सुविधा सेवा मात्र है।
3. यह कि किसी प्रकार के लेन-देन समिति के प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार बैंक खाते से ही मान्य होगा।
4. यह कि कम्प्यूटर द्वारा एवं मैनुअल ऋण आवेदन एवं भुगतान जॉब नियमावली ऑन लाईन उपलब्ध है।
5. यह कि 25000/- तक के ऋण खाते में सिकुरिटी के तौर पर ऋण खाताधारी सदस्य के स्वयं का बैंक चेक एवं तीन माह के बैंक खाता स्टेटमेंट/विवरणी इससे ज्यादा के ऋण आवेदन में दो गारंटर का बैंक चेक एवं तीन माह के बैंक खाता स्टेटमेंट/विवरणी अनिवार्य होगा।
6. यह कि समितिनियमानुसार मैं सदस्यों को दैनिक/मासिक जमा खाता पर दो प्रकार से ऋण सेवा प्रदान कर सकते हैं **प्रथम** जमा बैलेंस का पचहत्तर प्रतिशत ऋण और **द्वितीय** जमा खाता के ओपनिंग रकम के गुणक के अनुसार अर्थात जमा बैलेंस से अत्यधिक रकम सभी सदस्यों को प्रदान कर सकते हैं, जिसमें मेरे द्वारा सदस्यों को ऋण प्रदान करने का बिन्दु का निर्णय लिया गया है।
नोट-यह कि द्वितीय/दूसरा बिन्दु अनुसार ऋण सेवा सदस्यों को प्रदान करने पर ऋण रिकवरी का सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरा होगा, अगर एक या दो प्रतिशत ऋण खाता धारी सदस्यों पर कानूनी कार्यवाई करना पड़ेगा तो सर्व प्रथम ड्यूज ऋण रकम समिति के बैंक में मेरे द्वारा सिकुरिटी के तौर पर जमा किया जाएगा तदोपरान्त समिति द्वारा मनोनित अधिवक्ता के द्वारा बकाएदार सदस्यों पर मेरे द्वारा केश दायर किया जाएगा जिसका हर्जा- खर्चा समिति द्वारा व्यय किया जाएगा और ऋण रिकवरी होने पर रकम मेरे बैंक में समिति द्वारा भेज दिया जाएगा अर्थात समिति द्वारा मेरे सदस्यों का कमबार/सिरियल मैचुरिटी/समयपूर्ण भुगतान होगा।
7. यह कि समितिनियमानुसार मेरे द्वारा सप्ताहिक/मासिक पूरा किए गए लक्ष्य के अनुसार जिवकोपार्जन के दो अनुबंध **कमीशन** और **सेलरी** है, जिसमें मेरे द्वारा.....का निर्णय लिया गया है।
8. यह कि मेरे द्वारा एमएम/कलेक्शन एग्जेक्यूटिव के एग्रीमेंट के साथ स्वयं के नाम का बैंक चेक जिसका नम्बर..... है समितिनियमानुसार सिकुरिटी में जमा किया गया है।

अतः उपरोक्त बिन्दु के अनुसार जमा/ऋण भुगतान कार्य प्रारंभ करने का अनुमति प्रदान किया जाय।

मार्केटिंग बिभाग

अधिकृत हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

एमएम हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

‘अपना सुधार ही दुनियां की सबसे बड़ी सेवा है’